इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक 95/ जोन 2/ उपजोन– /वि0प्रा0/2014–15 दिनांक 05.12.2014

गृह निर्माणार्थ अनुमति पत्र

यह अनुमति केवल उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अन्तर्गत दी जाती है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर प्रस्तावित आवासीय/व्यावसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसके स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री सुशील कुमार पुत्र स्व0 श्रीदेव प्रसाद गुप्ता निवासी–390 राजा बाग का हाता मुट्ठीगंज इलाहाबाद द्वारा भूमि आफ मकान सं0–319/300 नया 140/439 राजा बाग के हाता मुट्ठीगंज परगना व तहसील–सदर इलाहाबाद(क्षेत्रफल–115.53 वर्गमी0) जोन सं0–2 के उपजोन– के अन्तर्गत भवन/आवासीय आवासीय/व्यावसायिक भवन निर्माण(प्रथम चरण) की अनुमति हेतु दाखिल भवन मानचित्र के प्रस्तावित भाग पर निर्माण की अनुमति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:–

1. स्थल पर 4X3 फिट का एक बोर्ड लगा कर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र से स्वीकृति सम्बन्धी विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा, जिसमें आर्किटेक्ट/इन्जीनियर के फर्म का नाम भी अंकित हो।
2. स्थल पर (02) अदद वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों हरा–भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
3. अवसंरचना, सुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में नगर आयुक्त नगर निगम इलाहाबाद द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के क्रम में निर्गत अनापत्ति पत्र का अक्षरशः अनुपालन करना होगा।
4. स्थल का अधिभोग/उपयोग तथा निर्माण स्वीकृत प्रस्तावना के अनुरूप ही किया जायेगा।
5. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी, स्वामित्व सम्बन्धी किसी विवाद पर मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
6. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15(6) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
7. मानचित्र की स्वीकृति की वैधता निर्गत मात्र पाँच वर्ष की अवधि के लिए है।
8. भवन निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के अग्र भाग, पृष्ठ भाग, अथवा उसके आजार के कारण बच गई हो) को हानि पहुँचे तो मुख्यकारी वैधता हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि नोटिस प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और रीति कहा हो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को सुलोग हो जाय में कर देंगे।
9. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 इलेक्ट्रिसिटी इन्फ्लुएन्स इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965 नियम 32 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि निर्माण व विकास के अन्तर्गत में ऐसे पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान के नींव, छत तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आबादी का नाप भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान के उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर एक्ट अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी
12. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए(1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या 2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
13. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त सभी अवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C. की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात निर्गत किये जाने वाले "पूर्णता प्रमाण पत्र" प्राप्त करने बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जायेगा।
14. आवेदक को मानचित्र स्वीकृति के 15 दिन के अन्दर अशनशीय भाग प्रस्तुत करना प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
15. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य स्वयं कराना होगा।

संलग्नक : नक्शे के अनुसार।

जोनल अधिकारी
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद।

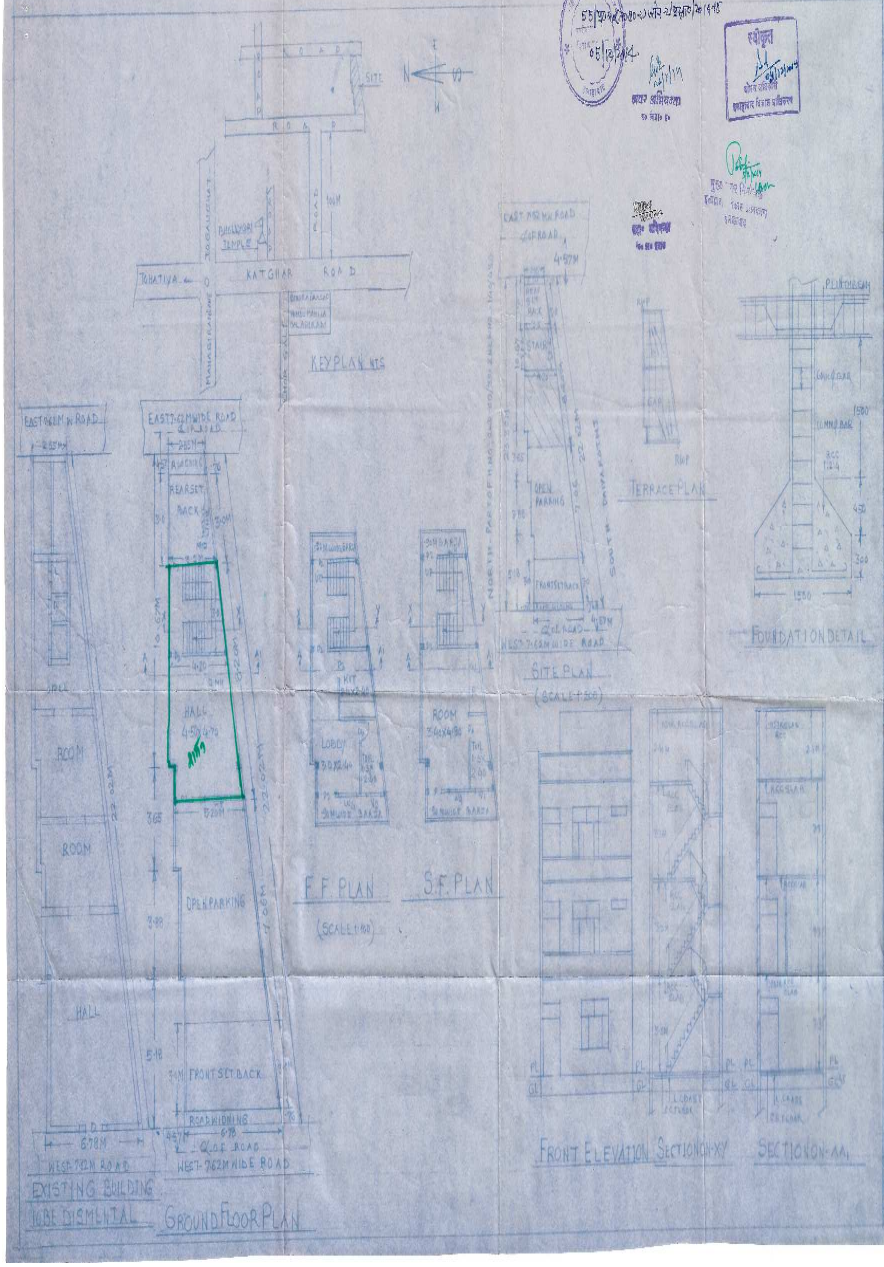

SCHEDULE OF DOOR WINDOWS & VENT			
	PARTICULAR	NO	SIZE
1	DOOR D_1	15	1.0X2.40
	D_2	1	1.0X2.40
	D_3	4	0.76X2.40
2	WINDOWS		
	W_1	2	1.5X1.65
	W_2	6	1.20X1.65
3	VENTILATION V_1	4	0.6X0.30

PROPOSED COMMERCIAL/RESIDENTIAL BUILDING

PLAN OF PART OF PART OF HOUSE

NO. OLD-619/290 AND NEW NO-140/439

AT RAJA BARA KHAIYA MUTTHIGANJ

PARGANA AND TEHSIL - SADAR

DIST- ALLAHABAD

SCHEDULE OF AREA

1	TOTAL AREA OF LAND	145.53 M²
2	AREA FOR ROAD WIDENING	7.09 M²
3	NET AREA OF G.F.	108.44 M²
4	COVERED AREA OF G.F.	39.85 M²
5	COVERED AREA OF F.F.	39.85 M²
6	COVERED AREA OF S.F.	39.85 M²
7	COVERED AREA OF MUTTY	12.47 M²
8	OPEN AREA OF G.F.	70.43 M²
9	COVERAGE OF G.F.	35.8%
10	F.A.R.	1.04%

OWNER

SRI SUSHIL KUMAR GUPTA

S/O LT ADITYA PRASAD GUPTA

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING AS A BUILDING BYLAWS AND MASTER PLAN 2021

G.D. (M.V.S.T.E.P.T. (F.I.V.)

DATE DRGNO. /2014